न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्वेता चौहान (आई0ए0एस0)
कैम्प– पंचायत समिति जवाजा
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2018

श्री करम सिंह पुत्र श्री बाला जाति रावत आयु 45 साल निवासी ठीकराना महेन्द्रातान तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0

————प्रार्थी

ब ना म

1. श्री पांचा पुत्र श्री हीरा
2. श्री धन्ना पुत्र श्री हीरा
3. श्री कालू पुत्र श्री हीरा
4. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री पेमा
5. श्री नोरत सिंह पुत्र श्री पेमा
6. श्री रतन सिंह पुत्र श्री पेमा
7. श्री विजय सिंह पुत्र श्री पेमा
8. गीता पुत्री श्री पेमा
9. लक्ष्मी पुत्री श्री पेमा
10. लीला पुत्री श्री पेमा
11. संगीता पुत्री श्री पेमा
12. श्रीमती कंकू देवी पत्नि श्री पेमा
13. श्री नारायण सिंह पुत्र श्री बुद्धा
14. श्रीमती भंवरी बेवा श्री बुद्धा
15. श्री पूरण सिंह पुत्र श्री किशन सिंह
16. सुमन पुत्री श्री किशन सिंह
17. श्रीमती कमला बेवा अमर सिंह
18. मन्जू पुत्री श्री अमर सिंह
19. श्री अन्ना पुत्र श्री नाथू सिंह
20. सुगना पुत्री श्री नाथू सिंह
21. श्रीमती गंगा बेवा श्री नाथू सिंह
22. श्री भंवर सिंह पुत्र श्री बिरदा सिंह
23. जैना देवी पुत्री श्री बिरदा सिंह
24. श्री अनिल पुत्र श्री राम सिंह
25. श्री सुनिल पुत्र श्री राम सिंह
26. मन्जू पुत्री श्री राम सिंह
27. मैना पुत्री श्री राम सिंह
28. रेखा पुत्री श्री राम सिंह
29. श्रीमती सुगना पत्नि श्री राम सिंह
30. श्री मदन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह
31. श्री जय सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह
32. श्री मुकेश पुत्र श्री प्रताप सिंह
33. सन्तोष पुत्री श्री प्रताप सिंह
34. कंवरी पुत्री श्री प्रताप सिंह
35. श्रीमती लाडी बेवा श्री प्रताप सिंह

    सभी जाति रावतान् निवासी ग्राम ठीकराना महेन्द्रातान तहसील ब्यावर जिला अजमेर
36. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला अजमेर।

————अप्रार्थीगण

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 21–08–2020

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये है, मौजा ठीकराना महेन्द्रातान पटवार हल्का फतेहपुरिया दोयम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर में वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1010 रकबा 01–10–00 किस्म चाही 1 स्थित है जो वादी की खातेदारी की आराजी है जिसमें आने जाने हेतु सावत्री नगर में से 25 फुट रास्ता खसरा नम्बर 74 तक आता है व जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें से होकर उपरोक्त मुण्डेर के पास नहर के सहारे सहारे 12 फुट का रास्ता वादी की खातेदारी भूमि में आता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 35 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 90 की मुण्डेर के सहारे सहारे 12 फुट का आम रास्ता वादी की खातेदारी की भूमि तक लम्बाई 100 फीट का लम्बा रास्ता जाता है जो उक्त खसरा नम्बर 74, 90 की मुण्डेर पर बने रास्ते को प्रतिवादीगण ने बन्द कर दिया है जो कि फूल सागर की नहर के सहारे सहारे रास्ता विद्यमान है। जो रास्ता वादी की खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 1010 तक जाते हैं लेकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 35 की नियत बद हो गई, इस कारण से उपरोक्त रास्ते को अवरूद्ध कर कांटे की बाड़ लगा दी है जिससे वादी/प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि जिसमें प्रार्थी अपने खेत में पैदा होने वाली फसलों को लाने व ले जाने हेतु उपयोग व उपभोग कर आ रहा है जो सावत्री नगर होते हुए खसरा नम्बर 74 व 90 की मुण्डेर पर 12 फुट रास्ता चौड़ा है जिसकी लम्बाई 100 फुट है, प्रार्थी के खसरा नम्बर 74 व 90 की मुण्डेर पर बने 12 फुट चौड़ा व 100 फुट लम्बा रास्ते में से होकर जाते हैं। उपरोक्त रास्ता को वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1010 जिसका रकबा 01–10–00 बिस्वान्सी है। प्रार्थी के पास उपरोक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1010 पर जाने हेतु उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त रास्ते को प्रार्थीगण आने जाने हेतु उपयोग में कदीमी समय से लेते चले आ रहे है जो कि 12 फीट चौड़ा जाने हेतु खसरा संख्या 74 व 90 में विद्यमान है जिसको प्रातिवादी/अप्रार्थी ने दिनांक 08.12.2018 को बन्द कर दिया व प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने अपने खेत में आने जाने नहीं दे रहे हैं जिससे प्रार्थी को उपरोस्त रास्ते को लेकर समस्या उत्पन्न हुई एवं उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः मौजा ठीकराना महेन्द्रातान पटवार हल्का फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर में स्थित खसरा संख्या 74, 90 में स्थित है जो सावित्री नगर से होते हुए जाता है जो रास्ता 12 फीट चौड़ा व 100 फीट लम्बा है जो कदमी रास्ता है जिसको खुलावाया जाने के आदेश प्रदान करावें व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश अपने अधीनस्थ अप्रार्थी संख्या 36 को निर्देश दिये जावें व वर्तमान में उपरोक्त रास्ते बाबत् जो डी.एल.सी. रेट की राशि है उसे प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने हेतु तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 व 15 बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 से 7, 17 से 19, 21, 22, 24 से 26, 29 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जिस प्रकार लिखे गए हैं वो गलत तथा झूंठे एवं आधारहीन होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 74 व 90 की मुण्डेर पर नहर व रास्ता वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1010 पर जाता रास्ता व नहर नहीं दर्शा रखा है। जब गांव आबाद हुआ, संवत् 1801 से अभी तक वादीगण कभी भी खसरा नंबर 74 व 90 की मुण्डेर पर आना जाना नहीं हुआ और ना हो रहा है और न ही वादी से कभी आने जाने बाबत् झगड़ा हुआ। वादी/प्रार्थी को अपने ही खेतो में आने जाने का रास्ता पहले से ही बना हुआ है,जो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तथा प्रार्थी के कुए के पास से जो उत्तर दिशा की

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

ओर जा रहा है, वही उसे उपयोग में आ रहा है। प्रतिवादीगण के हिस्से में करीब दो बीघा जमीन है। यदि उक्त भूमि रास्ते में चली जायेगी तो प्रतिवादीगण बरबाद हो जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र विशेष खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे तथा उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण को वादी से विशेष हर्जा एवं खर्चा प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 30 व 31 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि वादी ने मनगढ़ंत एवं झूठे तरीके से कहानी बनाकर पेश की जो स्वीकार्य नहीं है। वाद में वर्णित खसरा संख्या 90 में ना तो कोई नहर है और ना ही कोई कदीमी रास्ता है, यह पूर्ण रूप से कृषि भूमि है और दिनांक 08.12.2018 को प्रतिवादी संख्या 30 से 35 यहां मौके पर नहीं थे और ना ही कोई घटना हुई है। हम इस गांव में निवास नहीं कर अपने पुश्तैनी गांव सुहावा में ही निवास करते चले आ रहे हैं। वादी के पास रास्ता पहले सही अपनी पैतृक सम्पत्ति खसरा संख्या 1004 में से होकर विद्यमान है जिसका उपयोग उपभोग वादी परम्परागत रूप से करता चला आ रहा है जिसका जिक्र वादी ने अपने वाद में नही किया है। वादी के सबसे बड़े भाई मिठु पुत्र बाला ने अवैध आवासीय कॉलोनी खसरा संख्या 1004 के 1/2 हिस्से में विकसित की है, जिसके भूखण्डों को वादी बचाना चाहता है और अपने भाई को इन्हीं भूखण्डों से अवैध लाभ पहुंचाना चाहता है, इसलिये अपने भाई के कहे अनुसार वादी ने यह वाद श्रीमान् के समक्ष पेश किया है। वादी के वाद प्रस्तुत करने से भयंकर आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंची है जिसकी भरपाई हेतु ससम्मान 50000/– दिलवाकर वादी का वाद खारिज किया जाकर राहत प्रदान करावें।

तहसीलदार ब्यावर अपनी बिन्दुवार रिपोर्ट में सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1010 पर मौके पर आने–जाने का रास्ता नहीं है। प्रार्थी खसरा नम्बर 74 की मेड़ पर होकर आता–जाता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अन्य कोई वैकल्पिक मार्क नहीं है। प्रार्थी मौके पर ख.सं. 82, 83, 84, 85, 86 व 74 में होकर जाना चाहता है। खसरा नम्बर 82 से 84 में प्लॉट काटकर कुछ एक मकान बने हुए हैं। ख. नं. 82, 85 नगर परिषद के नाम दर्ज है। ख.नं. 84/1 से 84/6 हो रखे हैं जो नक्शे में तरमीम नहीं है तो स्पष्ट नहीं होता कि 84 के किस टुकड़े में से रास्ता निकलेगा। ख.नं. 82 व 83 में भूखण्ड कटे हुए हैं।

अप्रार्थी संख्या 31 ने सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 8 नियम 3 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किए हैं कि खसरा संख्या 90 से उक्त वाद का कोई संबंध सरोकार नहीं रह जाता है जो कि तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रतिवादी संख्या 22 से 35 का खसरा नम्बर 90 का पार्ट बिल्कुल अलग व भिन्न है। खसरा नम्बर 90 के लगाकर ही खसरा नम्बर 85 जो कि नगर परिषद ब्यावर द्वारा आवासीय भूखण्ड के लिए स्वीकृत है, जिसके अन्दर से किसी प्रकार से कोई रास्ता खसरा नम्बर 90 में नहीं आता जाता है एवं खसरा नम्बर 90 से कोई भौगोलिक तालमेल भी नहीं बैठता है। अतः खसरा नम्बर 90 को इस वाद से हटाया जावे।

प्रकरण में कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में दिनांक 14.08.2020 को सुनवाई की जाकर तहसीलदार ब्यावर/संबंधित पटवारी हल्का को पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार ब्यावर द्वारा पटवारी रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें सारांशतः कथन किए हैं कि उपखण्ड अधिकारी महोदय ब्यावर के आदेशानुसार पुलिस जाप्ता के खसरा नम्बर 74 से रास्ता खुलवाया गया एवं प्रार्थी इसी खसरा नम्बर से आता जाता है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का के मौका परचा में स्वयं कथन किए हैं कि सिर्फ खसरा नम्बर 74 में से रास्ता तरमीम कराने के कथन किए हैं।

प्रकरण कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में आज सुनवाई हेतु रखा गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 पांचूसिंह स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में मौखिक कथन किए कि प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि में केवल खसरा संख्या 74 में से ही रास्ता चाहिए। अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किए कि प्रार्थी को स्वयं के खसरे में जाने हेतु केवल मेरे अकेले के खसरा नम्बर 74 में से नहीं दिया जाकर कुछ भूमि मेरे खसरा नम्बर 74 से तथा कुछ भूमि मेरे खसरे से लगते खसरा नम्बर 90 में से दी जावे जिससे मुझ अप्रार्थी को अकेले को भूमि का खामियाजा नहीं भुगतना पड़े।

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तोवजात ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान पट. क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम की प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2073–76 प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 318 जो कि अधूरी प्रस्तुत की है जिसमें अंकित खसरा संख्या 89 रकबा 01–10–00 व ख.नं. 90 रकबा 01–03–10 भंवरसिंह रामसिंह पि. बिरधासिंह जैनादेवी पुत्री बिरधासिंह मु. धूली बेवा बिरधासिंह 1/2 हि. मदनसिंह जयसिंह मुकेशसिंह पि. प्रतापसिंह सन्तोष कंवरी पुत्रियां प्रतापसिंह लाडी बेवा अंकित होना पाया गया। ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान पट. क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम की प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2073–76 प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 46 में अंकित खसरा संख्या 1010 रकबा 01–10–00 करमसिंह वल्द बाला कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज होना पाया गया। ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान पटवार क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम की प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2073–76 प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 266 में अंकित अन्य खसरान् के साथ खसरा संख्या 74 रकबा 01–09–00 पांचा धन्ना कालू बाला पि. हीरा 2/5 राजेन्द्रसिंह नोरतसिंह रतनसिंह विजयसिंह पि. पेमा गीता लक्ष्मी लीला संगीता पुत्रियां पेमा कंकूदेवी बेवा पेमा हि.1/10 नारायणसिंह पुत्र बुधा मु. भंवरी बेवा बुधा वल्द वजीरा पूरणसिंह पुत्र किशनसिंह सुमन पुत्री किशनसिंह व नारायण सिंह वल्द बुधा भंवरी बेवा बुधा कमला बेवा अमरसिंह मंजू पुत्री अमरसिंह अन्नासिंह वल्द नाथूसिंह सुगना पुष्पा पुत्रियां नाथूसिंह गंगा बेवा नाथूसिंह हि.1/2 कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज होना पाया गया। नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। मौके के फोटो (छायाचित्र)। नक्शा प्लान की फोटो प्रति। अधिवक्ता श्री मांगीलाल कलवार ने अप्रार्थीगण की ओर से जमाबन्दी 2073–76 व खाता संख्या 318 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसका वर्णन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में किया जा चुका है। नक्शा ट्रेस की छाया प्रति प्रस्तुत की है। तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 72, 152, 266, 267, 268, 318, 440, 501,60, 16, 17, 18, 519 व 46 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। प्रकरण में तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट क्रमांक/भूअ/2019/3620 दिनांक 24.07.2019 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान के खसरा संख्या 74 में से प्रार्थी करमसिंह पुत्र श्री बाला जाति रावत को रास्ता का उपयोग करने से नहीं रोके जाने बाबत् अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया। इसी प्रकार तहसीलदार ब्यावर के पत्रांक भूअ/19/4163 दिनांक 14.08.2019 में ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान. के खसरा 74 व 1010 के संबंध में उभयपक्ष की उपस्थिति में संबंधित पटवारी व भू.अ.निरीक्षक द्वारा जरिए पुलिस इमदाद वादीगणों के आने व जाने के रास्ते से अवरोध हटाते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया है।

उक्त समस्त दस्तावेजात्, प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 1 की बहस व तहसीदार ब्यावर की बहस व प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार यह पाया गया है कि प्रार्थी ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान के खसरा नम्बर 1010 में आने जाने हेतु केवल खसरा संख्या 74 में से रास्ता चाहता है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किए हैं कि खसरा नम्बर 74 के लगते हुए खसरा नम्बर 90 स्थित है एवं जिनकी मुण्डेर से प्रार्थी आना जाना करता है एवं रास्ता दोनों खसरा नम्बर 74 व 90 में से दिया जाना उचित रहेगा एवं उक्त दोनों खसरा में से प्रार्थी ने रास्ता मांगा है, ताकि किसी एक काश्तकार की भूमि प्रभावित नहीं हो। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 के कथन को स्वयं प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पद संख्या 1 व प्रार्थना पत्र के अंतिम पद अनुतोष में भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 74 व 90 की मुण्डेर के सहारे सहारे रास्ता का उपयोग करता है जो कि प्रतिवादीगण ने बन्द कर दिया है। चूंकि प्रार्थी के खसरा संख्या 1010 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से प्रार्थी स्वयं की उक्त खातेदारी भूमि में रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार केवल एक काश्तकार की भूमि से रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी स्वयं के खसरा संख्या 1010 में जाने जाने हेतु रास्ते के रूप

.....लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

में खसरा नम्बर 74 व खसरा नम्बर 90 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान पटवार हल्का फतेहपुरिया दोयम स्थित प्रार्थी का खसरा संख्या 1010 रकबा 01–10–00 किस्म चाही1 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 85 की पूर्वी दिशा से लगते अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 74 में से 3 फीट चौड़ा तथा खसरा संख्या 90 में से 3 फीट चौड़ा अर्थात कुल 6 फीट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 1010 के प्रारंभिक छोर तक की लम्बाई के बराबर का रास्ता रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं व 6 फीट चौड़ाई व 1010 तक पहुंचने तक की लम्बाई की गणना कर प्रभावित रकबे का वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि के अनुसार तहसीलदार ब्यावर द्वारा गणना की जावे तथा प्रार्थी 6 फीट चौड़ाई के अनुसार संबंधित खातेदारान को उक्त राशि का भुगतान करेंगे। उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमियों में से रास्ते की भूमियों का नाप चौप कर पृथक से राजस्व अभिलेखों में सिवायचक आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रभावित भूमियों में से रास्ते के रकबे को कम करते हुए शेष रकबा संबंधित खातेदारान के हिस्से में यथावत रखा जावे। यथानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। **यह आदेश प्रार्थी द्वारा भूमि के प्रभावित क्षेत्रफल के वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि अनुसार भुगतान अप्रार्थीगण को अदा किये जाने के पश्चात् लागू होंगे।** प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को भुगतान अदा करने की रसीद पेश करने पर अथवा अप्रार्थी द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में नियमानुसार राजकोष मद में जमा कराने के पश्चात् उक्तानुसार मौके पर रास्ते की भूमि का नाप–चौप कर राजस्व नक्शे में सिवायचक आम रास्ता तरमीम किया जावे। राजकोष मद में राशि जमा कराने की स्थिति में प्राप्तकर्ता खातेदार कभी भी उक्त प्रभावित भूमि की राजकोष में जमा करवाई गई राशि राजकोष मद से नियमानुसार प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे।

आदेश आज दिनांक 21.08.2020 को कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर ब्यावर

श्वेता चौहान
उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर
ब्यावर